कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 734 /12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 07 : 09 : 2017.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
लैन्सडौन-गढ़वाल।

विषयः- **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली-परिब्दा-बौठ मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.80 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। पत्रावली N0 FP/UK/Road/9407/2015.**

सन्दर्भः- इस कार्यालय के पत्रांक-1664/12-1 दिनांक 30-12-2016 एवं आपका पत्रांक-1077/21सी0 दिनांक 10-08-2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 30-12-2016 द्वारा आपको भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक 09-12-2016 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन सरंक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 22-12-2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार शर्त सं0-1 प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.60 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 8,29,087.00 की माँग प्रेषित की गई थी। आपके द्वारा धनराशि जमा न किये जाने पर अब वर्ष 2017-18 हेतु संशोधित दरों पर (3.60 हे0X253332.00) = रू0 9,11,995.00 की धनराशि जमा करवाने का कष्ट करें। बिन्दु सं0-2 में आपके द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि पूर्व माँग के अनुसार रू0 1521000.00 (रूपये पन्द्रह लाख इक्कीस हजार) की धनराशि जमा की जानी है। इस प्रकार आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित धनराशि रू0 9,11,995.00 तथा एन0पी0वी0 हेतु रू0 15,21,000.00 कुल रू0 24,32,995.00 (रूपये चौबीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ पिचानब्बे मात्र) की धनराशि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किये जाने के बाद चालान जनरेट कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 1.80 हे0 के सापेक्ष दूगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.60 हे0 ग्राम-दावड़, पट्टी विचलाढांगू, तहसील-लैन्सडौन में चयनित भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक- (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, ...